<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।</u>

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2188/2026

CNR No.UPBB010048632026

सचिन यादव आयु करीब 25 वर्ष पुत्र श्री स्वर्गीय श्री विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम मकरहा खुर्द, थाना दोस्तपुर, जिला सुल्तानपुर।

----- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं– 206/2023
धारा– 392 भा०दं०सं०
थाना– देवा
जिला– बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री शरद यादव
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	04.08.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	14.08.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा दिनांक 19.03.2023 की रात्रि लगभग 09.30 बजे पवन दूध डेयरी से काम करके अपनी मोटरसायकिल संख्या UP32HX5341 स्पेलेंडर प्लस से किसान पथ के रास्ते अपने घर जाने के लिए निकला था कि जव वह गढ़ी छतेहना के सामने पहुंचा तो पीछे से एक पल्सर बाइक पर सवार चार अज्ञात लड़कों ने उसे ओवर टेक करके रोक लिया और उसे डरा धमका कर उसकी मोटर सायकिल UP32HX5341 व उसकी जेब में पड़ा मोबाइल कीपैड जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम पड़ी थी को लेकर पीछे की ओर

भाग गए। डर की वजह से समय पर सूचना देने नही आ सका आज दिनांक 20.03.2023 को सूचना देने आया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का रिमाण्ड उक्त घटना के लगभग तीन वर्ष बाद लिया गया है जिससे घटना पूर्व रुप से संदेहास्पद प्रतीत होती है। फर्द बरामदगी के आधार पर आवेदक के पास से किसी भी वस्तु की बरामदगी नही हुई है। अपराध मजिस्ट्रेट दारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। सहअभियुक्तों की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से वादी मुकदमा की मोटरसायकिल व मोबाइल लूटने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। आवेदक/अभियुक्त को सहअभियुक्तगण द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर नामित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त सचिन उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15.07.2026 को कोतवाली सिटी जनपद अम्बेड़करनगर के मु.अ.सं. 148/2023 में वांछित होने की दशा में कोतवाली अम्बेड़करनगर द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अम्बेड़कर नगर में निरुद्ध कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को बी–वारण्ट पर तलब किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी भी वस्तु की बरामदगी नही हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित गिरफ्तारी का कोई जनसाक्षी/स्वतंत्र साक्षी नही है। सहअभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध भी सहअभियुक्त द्वारा कारित अपराध के समान है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सचिन यादव** उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/,रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नही होगा।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नही करेंगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–14.08.2026
Manoj–

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
J.O.–UP1899